

2026:AHC:51613

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 9479/2026

मुरहू चौहान

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: शिव लाल

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. उपर्युक्त पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादि/प्रतिवादीगण उक्त आदेश से व्यथित होते हैं, तो उन्हें आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा माँगी गई मुख्य राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार-मुगलसराय (पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर), जनपद चंदौली को निर्देशित किया जाए कि वह वाद संख्या 24669 वर्ष 2025 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या C202514180424669) (मिश्री चौहान बनाम रिपोर्ट लेखपाल), जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत लंबित है, का निस्तारण यथाशीघ्र करे।
4. प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दीर्घकाल से लंबित है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, तथापि आज दिनांक तक प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका का निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार-मुगलसराय (पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर), जनपद चंदौली को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त वाद का निस्तारण, विधि के अनुसार, यथाशीघ्र, अधिमानतः अधीनस्त न्यायालय के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर, बिना अनावश्यक स्थगन प्रदान किए, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो, करे।

13 मार्च, 2026

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)